UPJB010035302026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, जिला अमरोहा

पीठासीन अधिकारी– विवेक (उच्चतर न्यायिक सेवा)

{JOCODE–UP2012}

प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–918/2026

वंश गुप्ता उर्फ पीजल आयु करीब 19 वर्ष पुत्र राजेश गुप्ता, निवासी मौहल्ला अटटा, कस्बा व थाना मण्डी धनौरा, जिला अमरोहा। .....आवेदक/अभियुक्त।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य .....अभियोजक।

मुकदमा अपराध संख्या–137/2026
धारा– 109(1),115(2),352,151(3)
भारतीय न्याय संहिता,
थाना–मण्डी धनौरा, जिला अमरोहा।

अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र का निस्तारण

दिनांकः 08.06.2026

उपरोक्त प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त **वंश गुप्ता उर्फ पीजल** की ओर से अग्रिम जमानत हेतु यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है।

02. संक्षेप में अभियोजन केस के अनुसार दिनांक 23.04.2026 को वादी मुकदमा **नरेश कुमार** के द्वारा थाना मण्डी धनौरा पर प्राथमिकी इस आशय की दर्ज करायी गयी कि दिनांक 10.04.2026 को विपुल अपनी माता गीता देवी के साथ जिला सहकारी बैंक से अपने घर जा रहे था। समय करीब 11:00 बजे शेरपुर पर कुछ लड़के मोटरसाईकिल से पटाखे छोड़ रहे थे। विपुल व उसकी माता ने विरोध किया, तो फैजान, रोहन, वंश गुप्त उर्फ फीजल व एक अन्य साथी ने विपुल के साथ लाठी–डण्डों, सरियों से मारपीट की, गाली–गलौच की, वहीं से गुजर रहे विवेक कुमार ने बीच–बचाव का प्रयास किया, तो विवेक के साथ भी मारपीट की, जिससे विपुल व विवेक को गुम व खुली चोटें आयीं। विवेक कुमार का सिंर फट गया तथा आठ टाके आये।

03. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्कों को सुना तथा सम्बन्धित केस डायरी का परिशीलन किया।

04. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की ओर से तर्क प्रस्तुत किये गये कि अभियोजन कथानक झूठा व बनावटी है। उसने उपरोक्त अभियोग से सम्बन्धित कोई अपराध कारित नहीं किया है। घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट 13 दिन विलम्ब से दर्ज करायी गयी है तथा विलम्ब का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। उसने वादी के साथ लाठी–डण्डों व सरिया से मारपीट नहीं की है। घटना स्थल काफी भीड़–भाड़ वाला स्थान है परन्तु घटना का कोई सीसीटीवी फुटेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। वह अग्रिम जमानत का दुरूपयोग नहीं करेगा तथा न्यायालय के दिशा–निर्देशों का पूर्ण पालन करेगा। अतः अग्रिम जमानत प्रदान किये जाने की याचना की गयी है।

अभियोजन की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्रों का विरोध करते हुये अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र को निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

05. केस डायरी के अवलोकन से दर्शित होता है कि मामले की घटना दिनांक 10.04.2026 को समय लगभग 11:30 बजे दिन की है, जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 23.04.2026 को समय 19:10 बजे संबंधित थाने पर दर्ज करायी गयी है।

Digitally signed by VIVEK AGGARWAL
Date: 2026.06.08 16:45:05 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

अभियोजन कथानक के अनुसार आवेदक के विरूद्ध अन्य सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर विवेक व विपुल के साथ जान से मारने की नीयत से लाठी–डण्डे व सरियों से मारपीट करने, जिससे विपुल के हलवाई की दुकान में रखी कढ़ाई पर गिरने से हाथ जल जाने व विवेक का सिर फट जाने व गाली–गलौंज करने का आरोप है।

06. केस डायरी पर संलग्न विवेक कुमार की चिकित्सीय आख्या दिनांक 10.04.2026 की छायाप्रति के अनुसार उसे एक चोट फटे हुये घाव की सिर के ऊपर, जिसे जेरे निगरानी रखते हुये एक्स–रे व सी.टी. स्कैन की सलाह दी गयी तथा चोटिल की पूरक चिकित्सीय आख्या के अनुसार उक्त चोट साधारण प्रकृति की बतायी गयी। पर्चा सं0–6 में चोटिल विवेक का चिकित्सीय परीक्षण करने वाले चिकित्सक डॉ0 बी.आर. गर्ग के कथानानुसार उनके द्वारा मजरूब के सिर में सर्जिकल टांके लगाये गये थे व सी.टी.स्कैन की सलाह दी गयी। चोटिल को उक्त चोट शरीर के मर्म भाग पर आना पायी गयी है।

07. पर्चा सं०–1 में **मजरूब विवेक** के कथानुसार दिनांक 10.04.2026 को समय करीब 11:30 बजे फैजान, रोहन, वंश गुप्ता उर्फ फीजल (आवेदक) व एक अज्ञात द्वारा विपुल के साथ लाठी–डण्डे, सरियों से की गयी मारपीट के दौरान बीच–बचाव करने पर इन लोगो ने मिलकर उसके ऊपर सरियो व डण्डो से वार कर दिया, जिससे उसका सिर फट गया।

पर्चा सं0–1 में इसी प्रकार के कथन मजरूब विपुल व अन्य गवाह गीता के द्वारा किये गये हैं। आवेदक प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित है। आवेदक को झूठा फंसाया जाना दर्शित नहीं होता है। मामले में विवेचना प्रचलित है।

अत: मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, आवेदक को अग्रिम जमानत प्रदान किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है। अत: आवेदक का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त **वंश गुप्ता उर्फ पीजल** का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांक–**08.06.2026**

(विवेक)
सत्र न्यायाधीश
अमरोहा

टाईपकर्ता: आनन्द प्रकाश, आशुलिपिक